माननीय मुख्य मंत्री
निराश्रित/बेसहारा
गोवंश सहभागिता योजना,

यह योजना निराश्रित/बेसहारा गोवंश के पूर्ण रूप से भरण पोषण प्रदान किये जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी को महत्वाकांक्षी योजना है । यह योजना बेसहारा गोवंश एवं संवर्द्धन में सामाजिक सहभागिता बढाये जाने की योजना है।

इस योजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैः-

1. जिलाधिकारी जनपद के ऐसे इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों को चिन्हित करायेंगे जो निराश्रित गोवंश को पालने हेतु तैयार हैं।
2. ऐसे इच्छुक व्यक्तियों को जिलाधिकारी द्वारा रू0 30/- (तीस रू0 मात्र) प्रति गोवंश /प्रति दिन की दर से भरण-पोषण हेतु धनराशि सम्बन्धित व्यक्ति पशु पालक के बैक खाते में प्रति माह डी0बी0टी0 प्रक्रिया द्वारा हस्तांतरित की जायेगी।
3. निराश्रित /बेसहारा गोवंश (जिसके कान में छल्ला अनिवार्य होगा) को इच्छ ुक कृषकों /पशुपालकों का जिला प्रशासन द्वारा स्थापित एवं संचालित अस्थाई /स्थाई गोवंश संरक्षण केन्द्रों के माध्यम से सुपुर्द किया जायेगा।
4. चिनहित कृषक/ पशुपालक सुपुर्द किये गये गोवंश को किसी भी दशा में विक्रय नहीं करेगा। और ना ही छुटटा छोड़ेगा।

कृषक /पशुपालक/ अन्य व्यक्ति के चयन हेतु मापदण्ड/मानक

1. कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्ति सम्बन्धित विकास खण्ड का मूल निवासी हो तथा वर्तमान में निवास कर रहा हो।
2. कृषकों /पशुपालकों /अन्य व्यक्ति को पालन पोषण का अनुभव हो तथा उसके पास पशु रखने का पर्याप्त स्थान हो।
3. इच्छुक व्यक्तियों को अधिकतम चार गोवंश ही दिया जाना है जिसमें नववत्सों की गणना नहीं किया जाना है अर्थत मादा गोवंश एवं दुध पीती बछिया को एक माना जायेगा।
4. इच्दुक व्यक्ति के नाम से आवेदन की तिथि को किसी राष्ट्रीय बैक में आधार लिंक क्रिया शील बचत खाता हो।
5. दुग्ध समितियों से जुड़े व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
6. प्रशिक्षित पैरावेट /पशुमित्र को प्राथमिकता दी जायेगी।
7. इच्छुक व्यक्ति चयन हेतु निर्धारित प्रारूप पर अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड /वोटर कार्ड/ राशन कार्ड) तथा बैक पास बुक की पूर्ण पठनीय छाया प्रति के साथ आवेदन करेगा।
8. इच्छुक व्यक्ति अपने ब्लाक के खण्ड विकास अधिकारी / पशु चिकित्साधिकारी से सम्पर्क करे।